राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला, जिला शिमला–171005, द्वारा संचालित प्रशिक्षुता कल्याण निधि के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2015 तक

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से रही

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 5/2004 से 3/2006

1)	पैरा 5	निर्णीत	(प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) की अध्यक्षता में राज्य प्रशिक्षुता परिषद की दिनांक 30.4.2003 को शिमला में आयोजित पांचवीं बैठक में अनुमोदित मद संख्या 5.6 के अन्तर्गत प्रशिक्षुता कल्याण निधि का गठन होना तथा निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या एस0टी0वी0(आई0टी0)–एफ (5)/85, दिनांक 4.11.1986 का उक्त निधि हेतु लागू/प्रासंगिक न होने के उपरान्त)
2)	पैरा 6	निर्णीत	(बैंक समाधान विवरणी को तैयार करने सम्बन्धित अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1)	पैरा 3	निर्णीत	(अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 के अंकेक्षण शुल्क की ₹2400 को चैक संख्या 300759, दिनांक 3.2.2012 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
2)	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित करने के उपरान्त)
3)	पैरा 5	निर्णीत	(प्रशिक्षुओं की प्रैक्टिकल फीस को समय–समय पर परीक्षा केन्द्र को प्रेषित करने के उपरान्त)
4)	पैरा 6	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला–05 द्वारा संचालित प्रशिक्षुता कल्याण निधि के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री मनजीत भाटिया (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 31.10.2015 से 4.11.2015 के दौरान किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 8/2011, 2/2013, 5/2013, 10/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 2/2012, 5/2012, 10/2013, 5/2014 चयनित किए गए।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी संस्थान में प्रधानाचार्य व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1	श्री एम0एल0 शर्मा, प्रधानाचार्य	15.2.2008 से 20.3.2012
2	श्री मोहिन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य	20.3.2012 से लगातार

यहां यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उतरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

संस्थान के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4,000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित करने हेतु, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 01, दिनांक 4.11.2015 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को चैक संख्याः 234935, दिनांक 4.11.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

संस्थान द्वारा प्रस्तुत लेखावधि 4/2011 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर संलग्न है।

रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 को ₹1,17,185.20 जमा थी तथा इतनी ही राशि बैंक खाते में भी जमा थी। इस प्रकार वित्तीय स्थिति, रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में कोई अन्तर नही पाया गया।

5 सावधि जमा/निवेश

संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्रशिक्षुता कल्याण निधि से सावधि जमा योजना में कोई भी राशि निवेशित नही थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि यदि भविष्य में कोई आधिक्य/अनुपयुक्त राशि निधि खाते में हो तो उसे उचित वित्तीय प्रबंन्धन को ध्यान में रखते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सके जिसे प्रशिक्षुओं की विभिन्न गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकता है।

6 इण्डो जर्मन प्रौजैक्ट के अन्तर्गत प्राप्त ₹56,480 को निधि में जमा करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नविवरणानुसार इंडो जर्मन प्रोजैक्ट के अन्तर्गत Plumbers के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त ₹56,480 को संस्थान की प्रशिक्षुता कल्याण निधि में जमा किया गया है, जबकि यह राशि इस निधि से सम्बन्धित नही थी। यद्यपि इस राशि में से ₹53,600 की सम्बन्धित उद्देश्य के लिए निकासी कर ली गई थी, तदापि शेष (₹56,480 – ₹53,600 = ₹2880) अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रशिक्षुता कल्याण निधि में ही जमा थी। अतः शेष ₹2880 की सम्बन्धित उद्देश्य हेतु निकासी न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रशिक्षुता कल्याण निधि में इस प्रकार के लेन–देन से परिहार किया जाए।

क्र0 सं0	जमा राशि	दिनांक	निकासी	दिनांक	निधि में शेष पड़ी राशि	रोकड़ बही पृष्ठ
1.	35280	4.7.2013	32400	9.7.2013	2880	76
2.	21200	22.8.2013	21200	2.9.2013	0	78
कुल योग	**56480**		**53600**		**2880**	

7 रसीद बुकों के बारे में

(क) प्राप्त राशि की रसीदें जारी न करना

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षुओं से रोकड़/ड्राफ्ट द्वारा प्रति प्रशिक्षु से ₹300 की दर से पंजीकरण शुल्क वसूल किया गया है, परन्तु संस्थान द्वारा अवधि 25.8.2011 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त राशि की कोई भी प्राप्ति रसीद प्रशिक्षुओं को जारी नहीं की गई थी, जो कि अनियमित है। अतः अपेक्षित रसीदें जारी न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में समस्त प्राप्त

राशियों की रसीदें जारी की जानी सुनिश्चित की जायें व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) छात्र कल्याण निधि की रसीद बुकें को प्रयोग में लाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रशिक्षुता कल्याण निधि में प्राप्त राशियों हेतु छात्र कल्याण निधि की रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई हैं, जिनमें छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के अन्तर्गत विभिन्न निधियों का विवरण अंकित है, जबकि प्रशिक्षुता कल्याण निधि का कोई भी विवरण अंकित नहीं था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में प्रशिक्षुता कल्याण निधि में प्राप्त की जा रही राशियों हेतु अलग से रसीद बुकें छपवाई जायें, जिसमें इस निधि का उपयुक्त विवरण अंकित हो।

8 निधि संग्रह रजिस्टर का उचित प्रकार से निर्माण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं से समय–समय पर पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि के लिए Registration fee register के नाम से संग्रह रजिस्टर का निर्माण किया गया है। उक्त रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि इसमें प्रशिक्षु का नाम, प्रशिक्षण का ट्रेड, प्रशिक्षण अवधि, विभाग/एजैन्सी जहां पर परीक्षार्थी प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत हुआ है, का विवरण दिया गया है, परन्तु प्राप्ति राशि की रसीद संख्या/दिनांक/पंजीकरण शुल्क की राशि इत्यादि का विवरण नहीं दिया गया था, अपितु प्राप्त राशि को सीधे रोकड़ बही में दर्ज किया जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त राशि का उपरोक्त रजिस्टर में पूर्ण विवरण न दिया जाना अनियमित है। अतः पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त राशियों को रसीद संख्या व दिनांक सहित उपरोक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्राप्त राशि का रसीद वार/दिनांक वार एक स्थान पर अभिलेख उपलब्ध हो सके। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई ।

10 **निष्कर्ष :–** लेखों एवं अभिलेख के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(XI)(I)247/07–खण्ड–1–2298–2299 दिनांकः22.03.2016
शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला–171005, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें

2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009